न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम
अलवर

अनवान ....जगदीश........बनाम........नवलसिंह........

किस्म मुकदमा........212 RT Act........मु0नं0........266........सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
07.09.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 11.10.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 367/1086/0.1138, 368/1087/0.0506, 369/1088/0.0506, 370/1089/0.0506, 371/1090/0.1012, 422/0.0379, 473/0.0253, 477/0.0253, 481/0.0379 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 0.4932 है0 वाके ग्राम मेवली तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 11.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
11/10/21	वकुलाय फरीकेन उप0/श्रीमान P.O. दीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 6/12/21 को उनके समक्ष पेश हो।
8/11/21	प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपना वाद [illegible] खारिज करवा लिया [illegible] अतः [illegible] होने पर प्रार्थना पत्र [illegible] औचित्य नहीं रह जाता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील लेख मजाफ़ हो। उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

जगदीश

द्वारा

ह0 अधिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:02:28 IST
Reason: SelfAttested